राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

शुद्धि-पत्र

दिनांक 15 नवम्बर, 1985

क्रमांक 1326-ज-II-85/34435.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 574-ज-II-85/15144, दिनांक 14 मई, 1985 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 28 मई, 1985 में प्रकाशित की गई है, की पहली लाईन में "क्रमांक 574-ज-II-85/15149" की बजाये "क्रमांक 574-ज-II-85/15194" पढ़ा जाये ।

क्रमांक 1247-ज-(2)-85/34439.—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 955-ज-(2)-85/24855, दिनांक 16 अगस्त, 1985, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र मे दिनांक 27 अगस्त, 1985 को प्रकाशित की गई है, की पांचवी लाईन में "क्रमांक 412-ज-(II)-74/20904" की बजाए "क्रमांक 421-ज-(II)-74/20904," पढ़ा जाये ।

युद्ध जागीर

क्रमांक 1234-ज(2)-85/34443.—श्री गुगन सिंह, पुत्र श्री नानू सिंह, गांव न्योला, तहसील कोसली, जिला रोहतक की दिनांक 30 मई, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गुगन सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3575-ज-II-72/38977, दिनांक 19 अक्तूबर, 1972, तथा 1789-ज(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रोमती सोरनिया के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1217-ज(2)-85/34450.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री लाल चन्द, पुत्र श्री राम सहाय, गांव बालधन कलां, तहसील रिवाड़ी, ज़िला महन्द्रगढ़ को खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 22 नवम्बर, 1985

क्रमांक 1308-ज-II-85/35121.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री जवान सिंह, पुत्र श्री भिखू गांव डड़ौली, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को, खरीफ़, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1310-ज-(2)-85/35125.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रोमती भरपाई, विधवा श्री हर चन्द, गांव पानहेरू, तहसील व ज़िला भिवानी, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

ओ० पी० सांगड़ा,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।